

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अगस्त 2018—श्रावण 22, शक 1940

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2018

शुद्धि-पत्र

क्र. 1767-3288-2017-35.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 346 दिनांक 24 अगस्त, 2015 में प्रकाशित, पशुओं संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम (चेकपोस्ट एवं संगरोग शिविर, निरीक्षण की रीति आदि) नियम, 2015 के लिए निम्नानुसार शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है, अर्थात्:—

उक्त नियमों के हिन्दी पाठ में:—

1. शब्द "संगरोग" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "संगरोध" पढ़ा जाए.
2. नियम 4 में, उप नियम (4) में खण्ड (एक) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

(एक) परीक्षण हेतु प्रभार (बड़े पशुओं हेतु रुपए 10/- एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 5/-) टीकाकरण (बड़े पशुओं हेतु रुपए 5/- एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 2/-) एवं कर्णभेदन अथवा चिन्हांकन की अन्य उपयुक्त विधि (बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 10/-) पशु स्वामी द्वारा दिए जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.